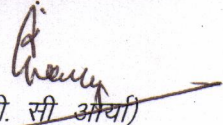


परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनोली-कोटा बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण
(8.500 किमी.)। (0.537 है.)

चैक लिस्ट प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सभी प्रमाण-पत्र चैक लिस्ट के अनुसार लगाये गये हैं।


(जी. सी. आर्या)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


(के. एस. असवाल)
अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


प्रभागीय जननिर्मात्री
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

फैक्ट सीट

- 1- परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनोली-कोटा बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (8.500 किमी.)।
- 2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में) - 0.537 है.

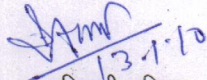
आरक्षित वनभूमि	-	
सिविल एवं सोयम वनभूमि	-	
राज्य वनभूमि	-	0.250 है.
वन पंचायत वनभूमि	-	0.287 है.
योग	-	0.537 है.
नाप भूमि	-	7.113 है.

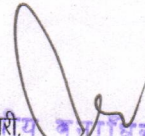
- 3- प्रस्तावित विभाग का नाम - प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
- 4- वन प्रभाग का नाम - अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 5- प्रस्ताव बांड़डिंग किया गया है - हाँ / नहीं
- 6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है - हाँ / नहीं
- 7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - हाँ / नहीं
- 8- क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हाँ / नहीं
- 9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है - हाँ / नहीं
- 13- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हाँ / नहीं
- 14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है - हाँ / नहीं
- 15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
- 16- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक स्थल को दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हाँ / नहीं
- 18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ / नहीं
- 19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हाँ / नहीं
- यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ / नहीं

पृष्ठ-2

- 20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ / नहीं
- 21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - हाँ / नहीं
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
- 22- क्या मानचित्र में प्रभावित प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ / नहीं
- 23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ / नहीं
- 25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हाँ / नहीं
- 26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ / नहीं
- 27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हाँ / नहीं
- 28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हाँ / नहीं
- 29- मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हाँ / नहीं
- 30- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हाँ / नहीं
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 31- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
- 32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं हाँ / नहीं
यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं -
- 33- यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ / नहीं
- 35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ / नहीं
- 36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं - हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।


13.1.10
अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग
अल्मोड़ा, उत्तरांचल प्रदेश
अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपरा-चनुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की गिनती 7.00 मी० चौड़ाई के अनुसार की गयी है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।

सहायक अभियन्ता(तृतीय),
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रानीखेत।

अधिक्षासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रानीखेत।

वन क्षेत्राधिकारी -
मोहान रेंज,
बल्लभोड़ा वन प्रभाग, बल्लभोड़ा

वन प्रशासक वन क्षेत्राधिकारी
प्रायोजक

2.44 E

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनोली-कोटा-मोटर मार्ग का नव निर्माण।

तुलनात्मक विवरण

<u>प्रथम समरेखण</u>	<u>द्वितीय समरेखण</u>
1. न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, तथा ग्रामवासी की मांग इसी समरेखन पर ही की जा रही है।	1. अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा ग्रामवासियों को इस समरेखन पर आपत्ति की जा रही है।
2. 138 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।	2. 225 के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
3. नाप भूमि 7.113 है० प्रभावित हो रहे हैं।	3. नाप भूमि 5.100 है० प्रभावित हो रही है।
4. बेनाप भूमि 0.250 है० तथा वन पंचायत भूमि 0.287 है० कुल 0.537 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है।	4. बेनाप व वन पंचायत भूमि अधिक प्रभावित हो रही है।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


इन्चार्ज बजाधिकारी
अल्मोड़ा नव ब्रजम अल्मोड़ा

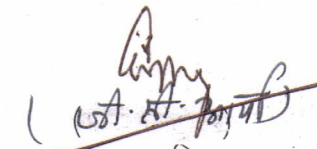
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

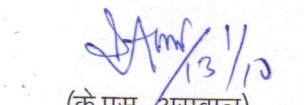
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 हे०)

लम्बाई :- 8.50 कि०मी०।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


(डी.एस.जरमाल)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


(जी.एस.जरमाल)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


(के.एस.असवाल)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

2.44g

(57)

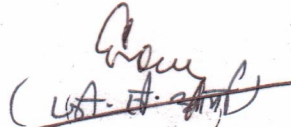
स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र

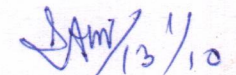
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव
निर्माण (0.537 हे०)
लम्बाई :- 8.50 कि०मी०।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में कोई स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं
है।



(डी.एस. जरमाल)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


(सहायक अभियन्ता)
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

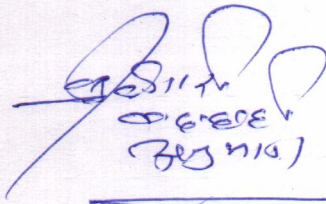

(के.एस. असवाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

ह०/
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

ह०/-
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा


वन क्षेत्राधिकारी
मोहान, रेंज,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
103


वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत,


103/11/10
103/11/10


सहायक अभियन्ता
अल्मोड़ा /

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

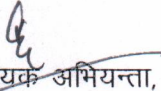
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

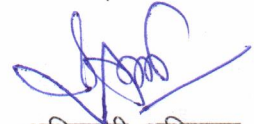
2.44 H

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनोली-कोटा-मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग से उत्पादित मलुवा निस्तारण स्थलों में पुर्नवास हेतु वनीकरण/अभियांत्रिक कार्यों की योजना का व्यय की धनराशि याचक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

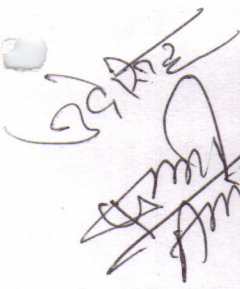
244 I

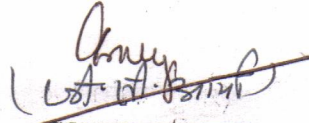
69

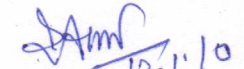
वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

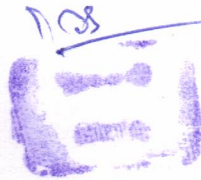
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 हे०)
लम्बाई :- 8.50 कि०मी०।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.537 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 500000.00 प्रति हे० है तथा वन भूमि का कुल मय रू० 268500,00 होता है।


(डी.एस.जरमाल)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


(के.एस. असवाल)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

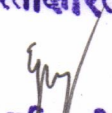


तहसीलदार भिकियाडोंग
बिला अल्मोड़ा /

ह०/-
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित


जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

244 J

2013

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनोली-कोटा बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (0.537 है०)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि में कोई भी बाँज वृक्ष प्रभावित नहीं होते है।

भू०अ० अमीन,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता(द्वितीय),
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत

2.44 K

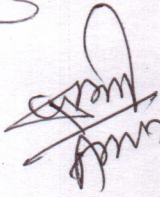
40

प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

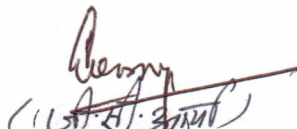
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 हे०)
लम्बाई :- 8.50 कि०मी०।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

उदारी



(डी.एस.जरमाल)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


(सी.एच.एस.के.सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


(के.एस. असवाल)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

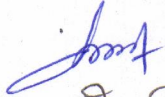
2.44 L

68A

मुलुवा निस्तारण योजना से सहमति का प्रमाण पत्र

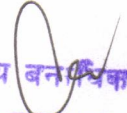
परियोजना का नाम :- अल्पक अल्मोड़ा में सरपट - चोली - कोरा - बरौट
मोटर मार्ग का नव निर्माण

उक्त परियोजना में प्रस्तावक विभाग द्वारा दिये गये मुलुवा निस्तारण प्रमाण पत्र से अधोहस्ताक्षरी सहमत है।


बन धुवाधिकारी
अल्मोड़ा


अधीक्षक
अल्मोड़ा

अधीक्षक


प्रभागिय बन धुवाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा